

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र


विभागीय राज्यादेश संख्या-820(10) दिनांक-17.11.16 के संशोधनोपरान्त शुद्धि पत्र ज्ञापांक-917(10) दिनांक-06.12.16 के क्रम में निम्न प्रकार शुद्धिकरण किया जाता है :-

विभागीय आवंटन आदेश संख्या-53(7)ब दिनांक-30.11.16 के कंडिका-4 में अंकित "इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि को कोषागार फार्म संख्या-46 में निकासी कर प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को उनके पी0एल0 खाता में उपलब्ध करायेंगे । निगम वित्त नियमावली एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में सामग्रियों का क्रय करेगा एवं उपयोगिता प्रमाण विभाग को उपलब्ध करावेगा" के स्थान पर -

"इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि को कोषागार फार्म संख्या-51 में निकासी कर प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उनके पी0एल0 खाता संख्या-244 एवं (विपत्र कोड-K8448001110002) में उपलब्ध करायेंगे । निगम वित्त नियमावली एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में सामग्रियों का क्रय करेगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध करावेगा" शुद्ध रूप में पढ़ा जाय ।

उक्त आवंटनादेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

आवंटनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।



(शेखर चन्द्र वर्मा)


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 62(7)A

/पटना, दिनांक : 07-12-16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग,बिहार,पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग,बिहार,पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, बिहार,पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड,पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ सिविल सर्जन, पटना/अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना/ अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख(प्र0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना /सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव /अवर सचिव/लेखा शाखा (दो प्रतियों में) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-7/10 एवं कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित



सरकार के संयुक्त सचिव